


XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.1152-दो/05

जिला-छिन्दवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

26-8-15 कैम्न जबलपुर	<p>इस प्रकरण में दिनांक 8-12-05 के बाद से आवेदक की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है। प्रकरण आदेशार्थ।</p> <p> सदसिव</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः आवेदक की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p> सदसिव</p>
1-9-15	

दस रुपये
TEN RUPEES

पाँच रुपये
FIVE RUPEES

समक्ष राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रिवीजन क्रमांक R-1152-II, 2005

05 JUL 2005

आवेदक :

भैयालाल आत्मज चिन्ह्या, भूतपूर्व कोटवार,
निवासी - ग्राम केवलारी, तहसील व जिला -
छिन्दवाडा ₹५०००/-

1127
05/7/05

विरुद्ध

अनावेदक :

म०५० शासन

प्रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

629

विद्वान अधिकारीकृत कीमशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील क्र. 861/अ-56/2000-01 में पारित आदेश दिनांक १०.०५.०५ जो विद्वान अनुबिभाग अधिकारी छिन्दवाडा द्वारा अपील क्र. 41/अ-56/97-98 में पारित आदेश दिनांक १०.०१.९९ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसको अनुसार नायब तहसीलदार छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण क्र. 2/अ-56/97-98 में पारित आदेश दिनांक २४.१२.९७ एवं को आयुक्त कार्यालय ३०.१२.९७ के द्वारा आवेदक को सेवा से पृथक कर दिया गया है, से द्वितीय होते ही इकाई के उक्त अधिकारी द्वारा यह प्रिवीजन निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा पायी है :-

∴ तथ्य :-

१। यह कि आवेदक छिन्दवाडा जिला के ग्राम केवलारी प०८०८० 25 राजस्व निरीक्षक, छिन्दवाडा - १ में ग्राम कोटवार पदस्थ था।

२। यह कि विद्वान स नायब तहसीलदार, छिन्दवाडा द्वारा आवेदक के 60 वर्ष पूर्ण होने तथा अपने पद का द्वृष्टियोग कर ग्रामवासियों के साथ अभद्र रथवडा र के एवं कोटवारी कार्य करने हेतु शारीरिक द्वीष्ट से तक्षण न होने के आधार पर आदेश दिनांक ३१.१२.९७ प्रीतिलिपि संलग्न के द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया है। यह प्रस्तुत है कि आवेदक को सेवामुक्त करने के पूर्व ना तो कोई नोटिस दिया

617